न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी प्रकरण संख्या : 62/2024
जीसीएमएस नम्बर : 2024/113

प्रार्थी:–

चेनाराम पुत्र हुकमाराम जाति सिरवी निवासी रामासिया तहसील व जिला पाली राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण:–

1. मृतक कानाराम पुत्र सवाराम जाति भाट निवासी रामासिया तहसील व जिला पाली राजस्थान के कायम मुकाम
   - 1/1 पुजा पत्नी भेराराम पुत्री कानाराम जाति भाट निवासी ग्राम डेण्डा तहसील पाली
   - 1/2 आरती पत्नी रामलाल पुत्री कानाराम जाति भाट निवासी रामासिया तहसील पाली जिला पाली
   - 1/3 बाईसा पत्नी कानाराम जाति भाट निवासी रामासिया तहसील पाली जिला पाली
2. सरपंच ग्राम पंचायत हेमावास तहसील पाली जिला पाली राजस्थान

पंचायत निगरानी प्रकरण संख्या : 63/2024
जीसीएमएस नम्बर : 2024/114

प्रार्थी:–

चेनाराम पुत्र हुकमाराम जाति सिरवी निवासी रामासिया तहसील व जिला पाली राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण:–

1. मृतक बाबुलाल पुत्र सवाराम जाति भाट निवासी रामासिया तहसील व जिला पाली राजस्थान के कायम मुकाम
   - 1/1 सखा पत्नी बाबुलाल जाति भाट
   - 1/2 रमेश पुत्र बाबुलाल
   - 1/3 ओमप्रकाश पुत्र बाबुलाल
   - 1/4 सोहन पुत्र बाबुलाल
   - 1/5 गोविन्द पुत्र बाबुलाल
     समस्त जातिगण भाट निवासीगण ग्राम रामासिया तहसील पाली जिला पाली
   - 1/6 इन्द्रा पत्नी जसराज पुत्री बाबुलाल जाति भाट निवासी मस्तान बाबा पाली जिला पाली
   - 1/7 चन्नु पत्नी रवि पुत्री बाबुलाल जाति भाट निवासी राईकों की ढाणी तहसील व जिला पाली राजस्थान

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

2. सरपंच ग्राम पंचायत हेमावास तहसील पाली जिला पाली राजस्थान

पंचायत निगरानी प्रकरण संख्या : 64/2024
जीसीएमएस नम्बर : 2024/115

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण:–
चेनाराम पुत्र डुकमाराम जाति सिरवी निवासी रामासिया तहसील व जिला पाली राजस्थान		1. वेनाराम पुत्र सवाराम जाति भाट निवासी रामासिया तहसील व जिला पाली 2. सरपंच ग्राम पंचायत हेमावास तहसील पाली जिला पाली राजस्थान

''पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994''

उपस्थिति –

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री खुशवन्त सांखला।
2. प्रकरण संख्या 62/2014 में अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/3, प्रकरण संख्या 63/2024 में अप्रार्थी संख्या 1/1, 1/3 से 1/7 तथा प्रकरण संख्या 64/2014 में अप्रार्थी संख्या 1 की ओर अधिवक्ता श्री लक्ष्मीनाराण वैष्णव।

<u>–: निर्णय :–</u>

दिनांकः– 25/06/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त वर्णित निगरानी याचिकाऐं अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की विषयवस्तु एवं एक समान प्रकृति की होने से उपरोक्त वर्णित समस्त निगरानी याचिकाओं को समेकित कर निर्णय पारित किया जा रहा है। प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने उपरोक्त समस्त निगरानी याचिकाऐं अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत हेमावास द्वारा मिसल संख्या 256/2008–2009, 257/2008–2009, 258/2008–2009 प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.10.2009 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी क्रमशः कानाराम पुत्र सवाराम के पक्ष में पट्टा संख्या 8356, अप्रार्थी बाबुलाल पुत्र सवाराम के पक्ष में पट्टा संख्या 8357 एवं अप्रार्थी वेनाराम पुत्र सवाराम के पक्ष में पट्टा संख्या 8358 दिनांक 05.10.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। निगरानी याचिकाओं को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। तत्पश्चात उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस निगरानी याचिका में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों की पालना किये बगैर विधि विरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टे जारी किए हैं। जैर निगरानी पट्टा जारी करने से पूर्व इसी भूमि का शिविया पुत्र बीजा भाट के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संख्या 58/1965–1966 की पालना में पट्टा संख्या 12 दिनांक 14.10. 1974 जारी हो रखा है। ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संख्या 42/82–83 के द्वारा गोरधन पुत्र चतुरभुज जाति लोहार के पक्ष में पट्टा संख्या 78 दिनांक 01.08.1983

अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

जारी हो रखा है। प्रार्थी ने उक्त पट्टा संख्या 78 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख खरीद किया तथा ग्राम पंचायत ने इसी पट्टा संख्या 78 के आंशिक भाग को शामिल करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। जैर निगरानी प्रश्नगत आराजी पर ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 14.10.1974 पर निम्नानुसार तीन अन्य पट्टे जारी किये है–

1. मिसल संख्या 256/2008–2009, प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.10.2009 की पालना में कानाराम पुत्र सवाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 8356
2. मिसल संख्या 257/2008–2009, प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.10.2009 की पालना में बाबुलाल पुत्र सवाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 8357
3. मिसल संख्या 258/2008–2009, प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.10.2009 की पालना में वेनाराम पुत्र सवाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 8358

ग्राम पंचायत ने उपरोक्त पट्टे पंचायतीराज नियमों में वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टे जारी किये, इसलिये जैर निगरानी स्वीकार फरमाकर ग्राम पंचायत द्वारा जारी जैर निगरानी पट्टे को निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत ने जो, जैर निगरानी पट्टे जारी किये है, वह प्रार्थी की पट्टेसुदा आराजी न होकर ग्राम पंचायत की रास्ते की भूमि है, जिस पर अडौस–पडौस के व्यक्तियों की खिडकिया एवं घरों के दरवाजे खुले हैं। जैर निगरानी पट्टा नियमानुसार है तथा अप्रार्थी केवल उस रास्ते का प्रयोग करता है। प्रार्थी जिस पट्टेसुदा आराजी पर बैठे है वह पट्टा रास्ते की भूमि पर जारी किया गया है न कि जैर निगरानी पट्टा रास्ते की भूमि पर हैं। प्रार्थी ने पट्टे की प्रक्रिया पर कोई आक्षेप नहीं लगाया है। ग्राम पंचायत ने रास्ते की भूमि मानते हुये यह पट्टा जारी किया और जैर निगरानी पट्टे की पूर्व दिशा में रास्ता भी अंकित किया हैं। जैर निगरानी पट्टा विधिनुसार है इसलिये प्रार्थी की उक्त निगरानी याचिका को खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक गहनता से अवलोकन एवं अनुशीलन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत हेमावास द्वारा मिसल संख्या 256/2008–2009, 257/2008–2009, 258/2008–2009 प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.10.2009 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी क्रमशः कानाराम पुत्र सवाराम के पक्ष में पट्टा संख्या 8356, अप्रार्थी बाबुलाल पुत्र सवाराम के पक्ष में पट्टा संख्या 8357 एवं अप्रार्थी वेनाराम पुत्र सवाराम के पक्ष में पट्टा संख्या 8358 दिनांक 05.10.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टे, पूर्व में जारी पट्टासुदा आराजी पर जारी किया हुआ है, जबकि अधिवक्ता अप्रार्थी ने इस कथन का विरोध करते हुये जाहिर किया कि जैर निगरानी पट्टे पर किसी अन्य का पट्टा नहीं है और वह किसी अन्यत्र आबादी भूमि पर जारी किए गये हैं। इन तथ्यों की पुष्टि हेतु पत्रावली पर उलब्ध गोरधन पुत्र चतरभूज जाति लोहार के पट्टा संख्या 78 के पडौस पूर्व दिशा में रास्ता/शिवजी भाट का मकान, पश्चिम दिशा में रतनाजी भाट व खीमाराम कीरगर का मकान, उत्तर दिशा में रतनाजी भाट का मकन एवं दक्षिण दिशा में किशनसिंह का नोहरा अंकित है। इसी तरह अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शिविया पुत्र बीजा जाति भाट के पट्टा संख्या 12 के पडौस पूर्व दिशा में रास्ता व मुख्य दरवाजा, पश्चिम दिशा में अमरिया भाट का बाडा, उत्तर

अति. जिला कलेक्टर, पाली

दिशा में रास्ता एवं दक्षिण दिशा में मांगीया, धना भाट का मकान अंकित है। पट्टा संख्या 78 की पुश्त पर अंकित नक्शे के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि शिविया भाट का पट्टा संख्या 12 दिनांक 14.10.1974, इसके पूर्व दिशा में स्थित हैं। हस्तगत प्रकरण में उभयपक्ष की यह स्वीकारोक्ति है कि जैर निगरानी पट्टे, पट्टा संख्या 78 के पूर्व दिशा में स्थित है। इसके अतिरिक्त उक्त तथ्य अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से भी प्रमाणित होता है कि जैर निगरानी समस्त पट्टे प्रार्थी के आवासीय मकान के पूर्व दिशा में स्थित हैं, अर्थात् यह प्रमाणित है कि जैर निगरानी पट्टे पूर्व में जारी पट्टेसुदा भूमि पर जारी किया गया हैं। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1998 DNJ 560 अनुसार – पंचायत ने प्रार्थी को 1963 में आबादी क्षेत्र में एक भूखण्ड आंवटित किया – पंचायत ने अप्रार्थी सं. 5 को भूखण्ड विक्रय किया और विक्रय की पुष्टि की – विधि अनुसार प्रार्थी का पट्टा निरस्त नहीं किया – पंचायत ने पट्टा निरस्त करने की अधिकारिता न होने से आधार पर आवंटन बहाल रखा – जब तक निरस्त न किया जाये आवंटन प्रभाव में रहता है – अप्रार्थी संख्या 5 के पश्चातवर्ती विक्रय बिना अधिकारिता के है, याचिका निरस्तारित की एवं साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 2010 (3) DNJ 1147, 2018 (1) DNJ 111, 2010 (2) RLW (RJ) page 968 भी अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का समर्थन करते है। इसी प्रकार AIR 1998 Raj Page 282 श्रीमती सरोज बनाम ग्राम पंचायत व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते उसी भूमि पर दुसरा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हैं।"

जैर निगरानी समस्त याचिकाओं में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम के तहत जारी किये गये हैं। हस्तगत प्रकरणों में पट्टे जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। ग्राम पंचायत के समक्ष केवल अप्रार्थी कानाराम ने पट्टा जारी करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया अन्य अप्रार्थी वेनाराम एवं बाबुलाल ने कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया। अप्रार्थी कानाराम ने जो प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, उनके साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत ही नहीं किया गया। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसलों का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि सम्पूर्ण आदेशिका पूर्व से लिखी हुई थी, जिसमें केवल अप्रार्थीगण एवं गवाहों के नाम बाद में अंकित किये गये हैं। आदेशिका दिनांक 20.07.2009 के द्वारा तीन पंचों को मौका निरीक्षण किये जाने के आदेश जारी किये गये, किन्तु तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हे नामित नहीं किया गया। आवेदक द्वारा नियम 145(3) के तहत स्थल निरीक्षण के व्यय पेटे 25/– रुपये जमा करवाये जाने थे, जो नहीं करवाये गये। इसके पश्चात नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु इन प्रकरणों में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। इन समस्त प्रकरणों में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वे समर्थन योग्य नहीं है।

हस्तगत प्रकरणों में गवाहों के बयान पूर्व से लिखे हुये बयानात है, जिसमें केवल प्रश्नगत भूमि की जानकारी एवं अप्रार्थी का नाम अंकित किया हैं, साथ ही पंचों द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें भी मूलभूत तथ्यों का अभाव हैं।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

प्रकरणों में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं ? यदि आपत्ति प्राप्त हुई, तो उक्त आपत्ति का क्या निस्तारण किया गया ? यह कहीं भी स्पष्ट नहीं हैं। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional District Collector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 - Allotment bade by Village Panchayat-Not following the requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow the procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed. इसी प्रकार 2009 0 WLC 759 Babu singh vs State of Rajasthan & Others. के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Act, 1994-S.97-The patta issuing order of the collector has been quashed as the order has been made in violation of the rules-The collector has exercised his power superficially in this mater which is not acceptable-Resolution for issuing the Patta has been set aside. उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण पर हूबहू चस्पा होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टे विधि सम्मत नहीं है, इसके अतिरिक्त मुख्य रूप से जिस भूमि पर उक्त पट्टे जारी किये गये है, उस भूमि पर मिसल संख्या 58/1965-1966 के अन्तर्गत शिविया पुत्र बीजा भाट के पक्ष पट्टा संख्या 12 दिनांक 14.10.1974 बना है, जो वर्तमान में प्रभावी हैं। इस प्रकार प्रकरण में प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये गये है, जो विधि विरूद्ध होने के कारण हस्तगत निगरानी याचिकाओं में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिकाऐं स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत हेमावास द्वारा मिसल संख्या 256/2008-2009, प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.10.2009 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी कानाराम पुत्र सवाराम के पक्ष में पट्टा संख्या 8356, मिसल संख्या 257/2008-2009, प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.10.2009 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी बाबुलाल पुत्र सवाराम के पक्ष में पट्टा संख्या 8357, मिसल संख्या 258/2008-2009, प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.10.2009 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी वेनाराम पुत्र सवाराम के पक्ष में पट्टा संख्या 8358 को अपास्त किया जाता है। निर्णय पृथक-पृथक प्रतियों में लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सम्बन्धित निगरानी याचिका में नत्थी किया जावे। निर्णय की सत्यप्रति के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 25/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली